



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
वर्ष 2014-15 के लिए**



**संघ सरकार  
संघ सरकार के लेखे  
2015 की प्रतिवेदन सं. 50  
(वित्तीय लेखापरीक्षा)**

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन**

**वर्ष 2014-15 के लिए**

**संघ सरकार  
संघ सरकार के लेखे  
2015 की प्रतिवेदन सं. 50  
(वित्तीय लेखापरीक्षा)**

## विषय सूची

पैरा सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	ix
	विशिष्टताएँ	xi
	<b>अध्याय-1: संघीय वित्त 2014-15 का विहंगावलोकन</b>	
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	संसाधनों का सृजन	4
1.2.1	राजस्व प्राप्तियाँ	5
1.2.2	राजस्व प्राप्तियों के संघटक: बजट अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर	5
1.2.3	कर राजस्व	6
1.2.4	गैर-कर राजस्व	7
1.2.5	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ	9
1.3	व्यय विश्लेषण	10
1.3.1	राजस्व तथा पूंजीगत व्यय	12
1.3.2	राजस्व व्यय का विश्लेषण	13
1.3.3	पूंजीगत लेखा व्यय का विश्लेषण	19
1.3.4	योजनागत व्यय का विश्लेषण	21
1.3.5	योजनागत व्यय के मुख्य घटक	22
1.3.6	सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम - वास्तविक व्यय	23
1.3.7	मुख्य मंत्रालयों में योजनागत व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात	24
1.4	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का अनुपालन	25
1.4.1	घाटे	26
1.5	ऋण प्रबंधन	31
1.5.1	लोक लेखा देयता का कम कथन	33
1.5.2	लोक ऋण का कुल पुनर्भुगतान	34
1.5.3	अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता	35
1.5.4	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की तुलना में निष्पादन	36
1.6	संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि	37
1.7	निष्कर्ष	39

अध्याय-2: लेखाओं पर टिप्पणियां		
2.1	प्रस्तावना	41
2.2	पारदर्शिता के मुद्दे	41
2.2.1	संघ के वित्त लेखाओं में बारहवें, तेरहवें तथा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणियों/सूचनाओं का समावेश न करना	41
2.2.2	सरकारी लेखाओं में अपारदर्शिता	42
2.2.3	सरकारी लेखे से बाहर पड़ी लोक निधियाँ	43
(क)	सरकारी लेखाओं के बाहर नियामकों की निधियां	44
(ख)	सरकारी लेखाओं के बाहर भा.टे.नि.प्रा. सामान्य निधि का प्रतिधारण	46
(ग)	सरकारी लेखाओं के बाहर क्ष.व.प्र.यो.प्रा. निधियों का प्रतिधारण	46
2.3	लोक लेखे के संबंध में अभ्युक्तियाँ	49
2.3.1	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि	49
2.3.2	अनुसंधान तथा विकास उपकर निधि के अंतर्गत संग्रहित उपकर का कम उपयोग	51
2.3.3	बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में निरंतर प्रतिकूल शेष	53
2.3.4	शिक्षा उपकर का लेखा-जोखा	54
(क)	प्राथमिक शिक्षा उपकर	54
(ख)	माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर	55
2.3.5	नवीकरण आरक्षित निधि को अंतरण को गलत दर्शाया जाना	56
2.3.6	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि	56
2.3.7	महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत शेषों का अनियमित प्रतिधारण	57
2.3.8	आयकर कल्याण निधि	57
2.3.9	सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क कल्याण निधि	59
2.3.10	लोक लेखे में केन्द्रीय सड़क निधि (के.स.नि.) को उपकर का कम अंतरण	62
2.3.11	लोक लेखे में चिन्हित निधियों को उपकर का कम अंतरण	63
2.3.12	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि का बंद न होना	64
2.4	सत्यता एवं समाधान संबंधी मुद्दे	64
2.4.1	कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के विशेष जमा के शेषों में असंगति	64
2.4.2	प्रतिभूति विमोचन निधि को राशि क्रेडिट न करना	65
2.4.3	पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण का गलत दर्शाया जाना	65
2.4.4	निष्क्रिय आरक्षित निधियां/जमा/अन्य निधि	66

2.4.5	बाह्य ऋण के लेखांकन को कम बताना	67
2.4.6	बाह्य ऋण का वर्तमान दर पर असंगत दर्शाया जाना	69
2.4.7	अन्य विसंगतियां	69
(क)	संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं.11 में सूचना का अधूरा दर्शाया जाना	69
(ख)	संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं.-15 में विसंगतियां/ भिन्नताएं	72
2.5	लेखाओं की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक	74
2.5.1	मुख्य उचंत लेखे के अन्तर्गत बकाया शेष	74
2.5.2	ऋण, जमा एवं प्रेषण (ऋ.ज.प्रे.) शीर्षों के अंतर्गत अधिक प्रतिकूल शेष	80
2.5.3	'चैक एवं बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष	81
2.5.4	प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की समीक्षा न करना	83
2.5.5	विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति	83
2.5.6	हानियाँ तथा गैर-वसूलनीय प्राप्यों को बट्टे खाते में डालना/स्थगित करना	85
2.6	निष्कर्ष	85
<b>अध्याय-3: विनियोग लेखे: 2014-15</b>		
3.1	प्रस्तावना	87
3.2	2014-15 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा बचतों का सारांश	88
3.3	प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण	91
3.4	अधिक संवितरण वाले अनुदान/विनियोग	92
3.5	अनुदानों में निरंतर आधिक्य	95
3.6	लघु/उपशीर्ष-वार आधिक्य व्यय	97
3.7	अनुदानों/विनियोगों में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत	97
3.8	बचतों का अभ्यर्पण (संपूर्ण)	99
3.9	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचतों का अभ्यर्पण (अनुदान-वार)	100
3.10	अवास्तविक बजटीय अनुमान के कारण बहुत अधिक अनुपूरक अनुदानें (मूल प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक)	100
3.11	अनावश्यक नकद अनुपूरक प्रावधान (अनुदान-वार)	103
3.12	लघु/उपशीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹5 करोड़ से अधिक)	104
3.13	लघु/उपशीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹5 करोड़ से अधिक)	104

3.14	उपशीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	104
3.15	संपूर्ण प्रावधान की बचत (उपशीर्ष-वार)	105
3.16	एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचत	106
3.17	निरंतर बचत (उपशीर्ष-वार)	108
3.18	मार्च के दौरान तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अंधाधुंध व्यय	108
3.19	रक्षा सेवा अनुदानों में निरंतर बचतें	111
3.20	रक्षा सेवा अनुदानों में बचतों का अभ्यर्पण	112
3.21	निष्कर्ष	113
<b>अध्याय-4: विनियोग लेखे: लेखाओं पर टिप्पणियां</b>		
4.1	प्रस्तावना	114
4.2	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) का लगातार उल्लंघन - सी.बी.डी.टी द्वारा करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय	114
4.3	बजट रेखा के बिना किया गया व्यय	116
4.4	कैंटीन स्टोर्स विभाग (सी.एस.डी) में व्यय बजट से प्राप्ति/विविध आय शीर्ष को निधि का पुर्नविनियोजन	117
4.5	प्रावधानों के संवर्धन हेतु वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता	118
4.5.1	वस्तु शीर्ष 31-सहायता अनुदान-सामान्य' के लिए प्रावधान में संवर्धन	118
4.5.2	वस्तु शीर्ष 35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रावधान का संवर्धन	120
4.5.3	वस्तु शीर्ष 36- सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का संवर्धन	122
4.5.4	वस्तु शीर्ष 33-सब्सिडी' के प्रावधान का संवर्धन	123
4.5.5	वस्तु शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' तथा 'भूशानरी एवं उपकरण' के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन	125
4.5.6	वस्तु शीर्ष '55 ऋण एवं अग्रिम' के अंतर्गत अधिक व्यय	126
4.6	पूँजीगत लेखे के बजाय राजस्व लेखे के अंतर्गत तथा प्रतिक्रम में व्यय का गलत वर्गीकरण	127
4.6.1	पूँजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण	127
4.6.2	राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण	129
4.6.3	व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण पर ₹365 करोड़ की राशि के व्यय का पूँजीगत खंड में गलत दर्ज किया जाना	130
4.6.4	गलत वर्गीकरण के अन्य मामले	131
4.7	अनुदान/विनियोग के एक ही प्रभाग के भीतर गलत वर्गीकरण के अन्य मामले	133

4.7.1	भारतीय लोक लेखे के स्थान पर भारत की समेकित निधि के माध्यम से गलत लेन-देन पारित होना	133
4.7.2	वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' का परिचालन न होना	135
4.7.3	अनुदान के एक ही प्रभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्षों में गलत वर्गीकरण	137
4.7.4	अन्य देशों को दी जा रही सहायता को दर्ज करने हेतु लक्ष्य शीर्ष 'अंशदान' का प्रचालन	148
4.7.5	'विशेष केन्द्रीय सहायता' का लेखे के गलत लघु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना	149
4.8	एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन	150
4.9	लक्ष्य शीर्ष के अंतर्गत एकमुश्त प्रावधान की प्राप्ति	152
4.10	अनुमोदन बिना योजना से योजनेत्तर शीर्ष को निधियों का पुनर्विनियोग	153
4.11	सुसंगत उपशीर्ष का प्रचालन न करने के कारण व्यय का गलत वर्गीकरण	154
4.12	संसदीय प्राधिकरण के बिना किया गया व्यय	155
4.13	कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट के मामले में विस्तृत शीर्ष 99- सूचना प्रौद्योगिकी का प्रचालन न करना	156
4.14	रक्षा मंत्रालय में बजट का गलत अनुमान	156
4.15	रक्षा अनुदानों में गलत तकनीकी पूरक प्रावधान प्राप्त करना	158
4.16	रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय अनुशासन का पालन न करना	161
4.17	निष्कर्ष	162
<b>अध्याय 5: सहायता अनुदान: एक विश्लेषण</b>		
5.1	प्रस्तावना	163
5.2	व्यय की प्रवृत्ति	163
5.2.1	प्रभारित तथा दत्तमत सहायता अनुदान	165
5.2.2	योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदान	166
5.3	योजनागत सहायता अनुदान व्यय की बदलती प्रकृति	167
5.3.1	सहायता अनुदान व्यय के मामले में नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रबंधन	168
5.4	उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प्र.)	171
5.5	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सहायता अनुदानों पर व्यय की विस्तृत जांच	173

<b>अनुदान सं. 46- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय</b>		
5.5.1	प्रस्तावना	173
5.5.2	बजट एवं व्यय	174
5.5.3	सहायता अनुदान पर व्यय का माह-वार प्रवाह	175
5.5.4	अभिकरणों को संस्वीकृत एवं निर्गत अनुदानें	176
5.5.5	सरकारी अनुदान में से अनुदानग्राहियों द्वारा सृजित पूंजीगत परिसम्पत्तियों के डाटा का गैर-अनुरक्षण	177
5.5.6	सहायता अनुदान रजिस्टर का अनुचित अनुरक्षण	178
5.5.7	अनुदानों के प्राधिकृत तथा निर्गम के बीच विलम्ब	179
5.5.8	जारी किए गए अनुदानों की निगरानी	180
(क)	स्वायत्त संगठनों की समकक्ष समीक्षा	180
(ख)	निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण न करना	180
(ग)	वार्षिक प्रतिवेदनों के द्वारा संसद को ब्यौरों की सूचना न देना	181
(घ)	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.)	181
<b>अनुदान सं. 30 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय</b>		
5.5.9	प्रस्तावना	182
5.5.10	बजट एवं व्यय	184
5.5.11	सहायता अनुदान पर माह-वार व्यय का प्रवाह	185
5.5.12	स्वायत्त निकायों, इकाइयों-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, पंजीकृत समितियां आदि के संबंध में व्यय	186
5.5.13	सरकारी अनुदानों में से अनुदानग्राहियों द्वारा सृजित पूंजीगत परिसम्पत्तियों के डाटा का अनुरक्षण न करना	187
5.5.14	संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन न किया जाना	187
5.5.15	अनुदान जारी करने तथा प्राधिकरण के बीच विलंब	188
5.5.16	उपयोग प्रमाणपत्रों में ऋणों तथा अग्रिमों पर किए व्यय का प्रकटीकरण न होना	188
5.5.17	उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प्र.)	189
5.5.18	निष्पादन सह उपलब्धि रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण न किया जाना	189
5.5.19	अनुदान रजिस्टर के अनुरक्षण में विसंगतियां	190
5.5.20	मंत्रालय की वेबसाईट पर अनुदानग्राही निकायों से संबंधित सूचना का अधूरा प्रकटीकरण	190
5.5.21	स्वायत्त संगठनों की पीयर समीक्षा नहीं की गई	191
5.5.22	त्रुटिपूर्ण आंतरिक पर्यवेक्षण	191
5.6	निष्कर्ष	192



	अनुबंध	
	अनुबंध 1.1	195
	अनुबंध 2.1	204
	अनुबंध 2.2	205
	अनुबंध 2.3	206
	अनुबंध 2.4	209
	अनुबंध 2.5	211
	अनुबंध 2.6	215
	अनुबंध 2.7	217
	अनुबंध 3.1	218
	अनुबंध 3.2	221
	अनुबंध 3.3	222
	अनुबंध 3.4	223
	अनुबंध 3.5	228
	अनुबंध 3.6	233
	अनुबंध 3.7	240
	अनुबंध 3.8	241
	अनुबंध 3.9	246
	अनुबंध 3.10	248
	अनुबंध 3.11	249
	अनुबंध 3.12	252
	अनुबंध 3.13	257
	अनुबंध 3.14	285
	अनुबंध 4.1	288
	अनुबंध 4.2	292
	अनुबंध 5.1	295
	अनुबंध 5.2	296
	शब्दावली	297